राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(ए–722/2013)/अलेसे–II/ 927 दिनांक :– 06.02.2026

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

| क.सं. | लिंक नं. | नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) | नाम परीक्षा | आयोजक संस्था | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12692 | अरविन्द कुमार सुथार | एम.ए अंग्रेजी (प्रथम वर्ष) परीक्षा वर्ष–2025–26 (स्वयंपाठी) | महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर | कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़। |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तो के अतिरिक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में अंकित निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
6. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
7. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
8. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

**यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।**

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

क्रमांक : एफ.4(ई)(ए–722/2013)/अलेसे–II/ 927 दिनांक :– 06.02.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़।
2. श्री अरविन्द कुमार सुथार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़।
3. संयुक्त निदेशक (आई.टी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

D:/sas-II/Rajesh ji/order.docx 243

Signature valid
Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.02.04 12:33:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20230917
eSign 1.0